तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्ड पीठ **श्री मुकेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष** **श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य** उपस्थित :– श्री एस.के.पुरोहित, अभिभाषक अपीलाण्ट की ओर से । श्रीमती पूनम माथुर, अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक राज्य की ओर से। ..... **निर्णय** **दिनांक 14.5.2019** 1. यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौगड की अपील संख्या 124/2003 में दिनांक 27.09.2004 को पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध पेश की गई है । 2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलांट ने सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन के न्यायालय में घोषणा एवं स्थाई व्यादेश का अनुतोष चाहते हुए इस आशय का वाद पेश किया कि ग्राम लांगड तहसील कपासन में अवस्थित भूमि खसरा नंबर 36, 43, 816 से 818 व 593 से 595 (नवीन खसरा नंबरान 439, 704 से 706, 717 872,1080 व 108) पूर्व में वादी के पिता की खडमदारी में दर्ज थी । इस प्रकार जागीर रिजम्पशन अधिनियम के प्रभाव में आने से वादी बतौर खडमदार इस भूमि की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी हो गया था । इसके बावजूद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के प्रभाव में आने पर इन भूमियों को वादी की खातेदारी में दर्ज करने के बजाय मंदिर के नाम दर्ज कर दिया गया । अतः यह भूमियां वादी की खातेदारी में दर्ज की जाऐं, इस आशय की घोषणा चाही गई। साथ में प्रतिवादीगण को वादी के कब्जाकाश्त में दखलंदाजी नहीं करने का अनुतोष मांगते हुए प्रतिवादीगण को स्थाई व्यादेश से प्रतिबंधित करने की भी प्रार्थना की गई । प्रतिवादीगण ने तामील हो जाने के बाद वाद को कंटेस्ट नहीं किया था । बल्कि प्रतिवादी नंबर 2 ने इकबाली जवाबदावा पेश किया था । प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । शहादत एकपक्षीय लेखबद्ध कर विचारण न्यायालय ने	

दिनांक 18.02.2003 के अपने निर्णय एवं डिक्री के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया था । इसकी उसने अपील पेश की, जिसे भी विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ ने दिनांक 27.09.2004 के निर्णय व डिक्री द्वारा खारिज कर दिया था। अतः यह द्वितीय अपील वादी ने प्रस्तुत की है ।

3. इस अपील में भी दोनों रेस्पोण्डेण्ट्स उपस्थित नहीं हुए हैं । चूंकि इस मामले में मंदिर मूर्ति प्रभावित पक्षकार है । वह अनरिप्रजेंटेड ना रह जाये, इसलिये अपीलांट के अभिभाषक के साथ साथ विद्वान अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक को भी सुना गया ।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की दलील है कि आक्षेपित दोनों निर्णय तथ्यों एवं विधि के विरूद्ध है । यह भूमियां वादी के पिता की खडमदारी में मंदिर के पुजारी की हैसियत से दर्ज थी । वादी अपने पिता का उत्तराधिकारी है। इस बात को समझे बगैर ही दोनों अधिनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद एवं उसकी प्रथम अपील सरसरी तौर पर खारिज कर दी जबकि ना तो वाद को कंटेस्ट किया गया, ना प्रथम अपील को कंटेस्ट किया गया और ना ही इस अपील में कोई रिप्रजेंटेशन मंदिर की ओर से हुआ । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 इस बाबत स्पष्ट प्रावधान करती है कि इस अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व जो व्यक्ति खडमदार या अन्य प्रकार से वंशानुगत एवं भूमियों के हस्तांतरण का अधिकार रखते हैं, वे अधिनियम के प्रभाव मे ं आने पर स्वतः ही उन भूमियों के खातेदार हो गये । विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने पर्चा खतौनी को आधार मानते हुए अपने निर्णय में यह तो माना है कि वादी के पूर्वज इस मंदिर के पुजारी था किंतु उनकी खडमदार की हैसियत नहीं मानी है । इस प्रकार विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय के निष्कर्ष तथ्यों से परे, असंगत एवं अवैधानिक है । इन निष्कर्षों को अपास्त करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचता है । अतः दोनों अधिनस्थ न्यायालयों के निर्णय एवं डिक्रियों को अपास्त किया जावे एवं वादी अपीलाण्ट का वाद डिक्री किया जावे।

5. विद्वान अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक ने इन दलीलों का यह कहते हुए विरोध किया है कि वादी अपनी एकपक्षीय साक्ष्य से अपना वाद साबित नहीं कर पाया । इसलिये दोनों अधिनस्थ न्यायालयों ने

उसका वाद व उसकी प्रथम अपील खारिज करने में ना तो तथ्यात्मक और ना ही विधिक .त्रुटिकी है ।

6. उक्त तर्कों को मनन किया गया । पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया ।

7. दोनों अधिनस्थ न्यायालयों के तथ्यों संबंधी इस बाबत समवर्ती निष्कर्ष है कि वादग्रस्त आराजियात प्रतिवादी/रेस्पोण्डंण्ट नंबर 1 की खातेदारी व काश्त की भूमियां चली आ रही हैं तथा इस प्रकार वादी अपना वाद साबित करने में सफल नहीं रहा है । दोनों अधिनस्थ न्यायालयों के यह निष्कर्ष ना तो ''illegal हैं और ना ही perverse'' हैं।

8. इस प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वादी यह साबित नहीं कर पाया है कि विधि के सुसंगत प्रावधानों के तहत उसके पूर्वजों ने नजराना राशि अदा करके इन भूमियों की खडमदारी प्राप्त की हो । इसलिये हमारी विनम्र राय में वादी का वाद व प्रथम अपील खारिज करने में दोनों अधिनस्थ न्यायालयों ने तात्विक त्रुटियां नहीं की हैं । इस संबंध में राजस्व मण्डल की खण्डपीठ द्वारा 2013 आरआरडी 756 ''राजस्थान राज्य बनाम भैरूदास वगैरह'' के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त महत्वपूर्ण हैं । इस अपील में विधि का कोई बिन्दू निहित नहीं है । अतः अपील काबिले खारिज है ।

9. लिहाजा यह अपील खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया । पत्रावली बाद तकमील होकर दाखिल दफतर हो।

(राजेन्द्र कुमार)
सदस्य

(मुकेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष